



महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रीय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान उज्जैन
(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
वेद विद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो. जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)
दूरभाष : (0734) 2502266, 2502254, 2502255
ई-मेल - msrvvpunj@gmail.com वेब साइट - www.msrvvp.ac.in

राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय - द्वारका (गुजरात) (II) बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड) (III) पुरी (ओडिशा) (IV) शृंगेरि (कर्णाटक) तथा (V) गुवाहाटी (असम) परिसर

शैक्षणिक (सहयोगी विषय) सेवा हेतु विज्ञापन

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान चिन्तामण गणेश मार्ग पो. जवासिया उज्जैन (म.प्र.) द्वारा I. द्वारका (गुजरात) II. बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड) III. पुरी (ओडिशा) IV. शृंगेरि (कर्णाटक) तथा V. गुवाहाटी (असम) में पांच "राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों" को वर्ष 2022-23 से संविदा के आधार पर स्थापित एवं संचालित किया जाना है। राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय संचालन समिति के अधीन इन विद्यालयों में शैक्षणिक (सहयोगी विषय) अध्यापक सेवाओं के लिये चयन किये जायेंगे। संविदा के आधार पर सेवाएँ तात्कालिक ही होंगी। यह पद आधारित नियुक्ति नहीं है, केवल मानदेय आधारित व्यवस्था है। कभी भी पद सृजन एवं स्थायी नियुक्ति नहीं होगी।


सहयोगी विषय अध्यापक –(I) संस्कृत (II) गणित (III) अंग्रेजी
(IV) सामान्य विज्ञान (V) सामाजिक विज्ञान (VI) योग
(VII) खेल अनुदेशक

प्रत्येक सेवा हेतु, प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक व्यक्ति संख्या, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, नियम एवं शर्तें, आवेदन-पत्र का प्रारूप प्रतिष्ठान की website-www.msrvvp.ac.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र भरकर सभी संलग्नकों के साथ स्पीड पोस्ट अथवा ईमेल msrvvppravvs@gmail.com से प्रेषित करें। दिनांक 16 सितंबर, 2022 तक स्पीड पोस्ट अथवा ईमेल के माध्यम से आवेदन पत्र सभी संलग्नकों के साथ प्रतिष्ठान कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त सेवाओं सम्बन्धी प्रक्रिया को स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या अशंतः / पूर्णतः निरस्त करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के अधीन रहेगा। इसमें किसी प्रकार का वाद/विवाद/ पत्राचार आदि मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय अधिकार क्षेत्र मध्यप्रदेश माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर पीठ ही होगा।

दिनांक 26-08-2022

प.सं. 26-8/2022(शै.)/ मसारावेविप्र/


सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

Ministry of Education

(संस्कृत विद्यालय मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

Ministry of Education

(संस्कृत विद्यालय मंत्रालय, भारत सरकार)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 26-8/2022(शै.)/मसारावेविप्र/

दिनांक: 26-08-2022

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान से सम्बद्ध राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय के परिसरों में

शैक्षणिक (सहयोगी विषय) सेवा हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रण अधिसूचना

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान चिन्तामण गणेश मार्ग पो. जवासिया उज्जैन (म.प्र.) द्वारा (I) द्वारका (गुजरात) (II) बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड) (III) पुरी (ओडिशा) (IV) शृंगेरि (कर्णाटक) तथा (V) गुवाहाटी (असम) में पांच "राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों" को वर्ष 2022-23 से संविदा के आधार पर स्थापित एवं संचालित किया जा रहा है। NEP 2020 के शैक्षिक संरचना को ध्यान में रखते हुए वेदभूषण -चतुर्थ एवं पञ्चम वर्ष (9th and 10th - equivalent - समकक्ष) एवं वेदविभूषण- प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (11th and 12th - equivalent - समकक्ष) का अध्ययन कराया जायेगा। आधुनिक विद्यालयों के विषय भी सम्मिलित रहेंगे। परीक्षा हेतु राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय "महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदसंस्कृत शिक्षा बोर्ड" से संबद्ध रहेंगे।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान द्वारा संविदा के आधार पर संचालित (I) द्वारका (गुजरात) (II) बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड) (III) पुरी (ओडिशा) (IV) शृंगेरि (कर्णाटक) तथा (V) गुवाहाटी (असम) में स्थित पांच "राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों" में वर्ष 2022-23 हेतु **सहयोगी शैक्षणिक व्यवस्था** के लिए संविदा के आधार पर नियोजन के लिए अधिसूचित किया जा रहा है। ये सेवाएं संविदा के आधार पर ही होंगी। यह पद आधारित सेवा नहीं है। कभी भी पद सृजन एवं स्थायी नियुक्ति नहीं होगी। प्रतिष्ठान अपने विवेकानुसार, उपलब्ध मूल सुविधा व्यवस्था के अनुसार, उपर्युक्त सभी जगह, अथवा इन में से कुछ जगहों पर वर्ष 2022-23 सत्र से ही "राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय" खोल सकता है, तथा सहयोगी शैक्षणिक व्यवस्था हेतु पैनल तैयार कर संचालन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अतः सभी जगह एक रूप से नियोजन या चयनित सभी को एक बार नियोजन की बाध्यता नहीं कर सकेंगे।

सहयोगी शैक्षणिक-

संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर, योग एवं खेल विषय के पात्र उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। प्रत्येक विषय हेतु अलग-अलग आवेदन-पत्र भरना अनिवार्य है। एक ही आवेदन-पत्र पर दो विषय मान्य नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर, 2022 रहेगी। आवेदन ईमेल msrvvpravvs@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)

E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

शैक्षणिक सहयोगी विषय - (*आवश्यकता के अनुसार)

क्र.	विषय का नाम	संख्या प्रत्येक विद्यालय हेतु	कुल स्थान (पांच विद्यालय हेतु)	आयु सीमा	प्रतिमाह अधिकतम मानदेय
1	संस्कृत	1	5	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	45,000/-
2	गणित	1	5	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	45,000/-
3	अंग्रेजी	1	5	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	45,000/-
4	सामान्य विज्ञान	1	5	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	45,000/-
5	सामाजिक विज्ञान	1	5	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	45,000/-
6	योग	1	5	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	45,000/-
	कुल	6	30		
1	खेल अनुदेशक	1	5	न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष	30,000/-
	कुल	1	5		

नोट :- उक्त मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा। शासन निर्दिष्ट टैक्स /टी.डी.एस. देय होगा।

*पद आधारित सेवा नहीं है।

(I) संस्कृत अध्यापक के लिये आवश्यक योग्यता -

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय स्नातक स्तर में 55 प्रतिशत तथा संस्कृत विषय स्नातकोत्तर उपाधि में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत /शास्त्र विषय शास्त्री में 55 प्रतिशत तथा संस्कृत /शास्त्र विषय आचार्य में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो ।
- शिक्षा शास्त्री/ बी.एड

वांछनीय योग्यता -

1. संस्कृत भाषा एवं विषय के अतिरिक्त कम्प्यूटर/वेद गणित/ किसी अन्य विषय को पढ़ाने की योग्यता।
 2. संस्कृत भाषा में टेट (TET) परीक्षा में उत्तीर्ण।
 3. किसी विद्यालय में संस्कृत संभाषण/भगवद्-गीता/अमरकोश/शब्दरूप/धातुरूप आदि सिखाने का अच्छा अनुभव।
 4. संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता ।
- (II) आधुनिक विषय अध्यापक (गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान) के लिए आवश्यक योग्यता
1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किये हो ।
 2. बी.एड.
 3. 10 अथवा 12 अथवा स्नातक स्तर पर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया हो।

वांछनीय योग्यता

1. सम्बन्धित विषय से टेट (TET) परीक्षा में उत्तीर्ण।
 2. सम्बन्धित विषय से अतिरिक्त किसी एक अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर/ हिन्दी भाषा /कला / को पढ़ाने की योग्यता।
 3. संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता ।
- (III) योग अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यता
1. योग अथवा सांख्य योग अथवा नेचुरोपेथि एवं योग विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की हो ।
 2. समस्त आसन, प्राणायाम आदि प्रयोग में अभ्यास व पूर्ण कुशल हो।

वांछनीय योग्यता

1. संस्कृत भाषा/ वेद का अध्ययन किया हो।
 2. योग अथवा सांख्य-योग अथवा नेचुरोपेथि एवं योग विज्ञान विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।
 3. QIC प्रमाण पत्र प्राप्त हो ।
 4. संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता ।
- (IV) खेल अनुदेशक के लिए आवश्यक योग्यता
1. शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 2. किसी भी विद्यालय में 3 वर्ष का खेल-खूद अध्यापक का अच्छा अनुभव।

वांछनीय योग्यता

1. योग / संस्कृत भाषा / वेद का अध्ययन किया हो।
2. शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो।
3. संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता ।

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाएँ एवं नियम व शर्तें -

1. राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में अध्यापकों की नियोजन पूरी तरह से अस्थायी संविदा के आधार पर होगी, कभी भी स्थायी नियुक्ति या पदों का सृजन नहीं होगी। अध्यापकों को प्रतिष्ठान के वेद अनुसन्धान, वेद अनुसन्धान आलेख रचना, वेदों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद, वैदिक प्रशिक्षण, वेद मुद्रण प्रूफ शोधन, वेद सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी सहित अन्य शैक्षिक कार्य भी अध्यापक के कर्तव्य में अन्तर्गत है। वेद विद्यालय के अलावा छात्रावास की सभी व्यवस्था, छात्रों को अनुशासन में रखना, समय-सारणी का पालन करना अध्यापकों के दायित्व रहेंगे। प्रतिष्ठान के विवेकानुसार एवं आवश्यकता को देखते हुए प्रतिष्ठान अन्तर्गत अन्यत्र राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
2. संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी में उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाने की पूरी क्षमता होनी चाहिये।
3. वेद विद्यालय में वेद की मौखिक परम्परा के साथ साथ, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदाङ्गों एवं अन्य आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जायेगा।
4. अध्यापकों को परीक्षा संचालन सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करना होगा। उच्च सत्यनिष्ठता का पालन अनिवार्य है।
5. चयनित सहयोगी विषय के अध्यापकों को पाठ्यक्रम एवं पुस्तक संकलन के दायित्व का भी निर्वहन करना होगा। ICT की दक्षता होनी चाहिए।
6. प्रत्येक विषय में छात्र उपलब्ध होने पर ही अन्तिम नियोजन होगा एवं चयन होने पर यह शर्त लागू होगा।
7. सभी राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय वेद विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय है।
8. विद्यालय का जीवन उच्च अनुशासित, पारम्परिक तथा वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान पर आधारित होगा।
9. विद्यालय के अध्यापक एवं छात्रों को पारम्परिक वेश भूषा में रहना होगा। सभी अध्यापक (वेद एवं अन्य विषय के) को वैदिक वेश भूषा में रहना अनिवार्य है। (पुरुष के लिए धोती-कच्छ धारण, महिला के लिए- साड़ी एवं ब्लाउज ही होगी)
10. अध्यापकों एवं छात्रों का आचरण वैदिक परम्परा एवं शिष्टता अनुसार होगा, अन्यथा आचरण होने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।

11. वेद विद्यालय के छात्रावास एवं विद्यालय में किसी भी प्रकार के आधुनिक गेजेट-मोबाईल आदि उपयोग नहीं होगा। छात्रावास में, विद्यालय में, कक्षा में या स्वयं के मोबाईल उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
12. अध्यापकों को पूर्ण कम्प्यूटर-साक्षरता एवं कार्यक्षमता अनिवार्य है।
13. प्रत्येक अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी को 100 रूपये के स्टॉप पेपर पर सेवा शपथ पत्र देना होगा।
14. उपयुक्त पाये जाने पर, चयन समिति के विवेकाधिकार पर योग्यता, वयोमति एवं अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है। चयन समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
15. वेद विद्यालय के सभी तरह के व्यवस्था में सचिव, म.सां रा. वे.वि.प्र., उज्जैन के आदेश मान्य होंगे।
16. उपर्युक्त सेवाओं सम्बन्धी प्रक्रिया को स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या अंशतः निरस्त करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के अधीन रहेगा। इसमें किसी प्रकार का वाद/विवाद /पत्राचार आदि मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में न्याय अधिकार क्षेत्र मध्यप्रदेश माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर पीठ ही होगा।
कोविड-19 एवं छात्र संख्या या अन्य किन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर यह चयन/नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः/अंशतः निरस्त की जा सकती है।

सचिव

म.प्र.वि.वे.रा.सां., उज्जैन